



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112025-268031  
CG-DL-E-27112025-268031

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5268]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 2025/अग्रहायण 6, 1947

No. 5268]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 2025/AGRAHAYANA 6, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2025

का.आ. 5449(अ).— गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8 के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 85 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 1997 में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

2. उक्त अधिसूचना में, शीर्षक "धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (छ) के अधीन नियुक्त" के अंतर्गत, क्रम संख्या 20 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

|    |                                                              |       |
|----|--------------------------------------------------------------|-------|
| 20 | प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कर्नाटक सरकार | सदस्य |
|----|--------------------------------------------------------------|-------|

उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रहेगा।

[फा. सं. वी.11011/03/2023-पीएनडीटी]

मीरा श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

**नोट:** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्या का. आ. 85 (अ) दिनांक 5 फरवरी, 1997 के तहत प्रकाशित की गई थी और संख्या का. आ 160 (अ) दिनांक 28 फरवरी, 1998 के तहत संशोधित की गई और संख्या का. आ 694 (अ) दिनांक 13 अगस्त, 1998, का. आ 61 (अ) दिनांक 14 जनवरी, 2000; एसओ 114 (ई) दिनांक 1 फरवरी, 2000; का. आ 349 (अ) दिनांक 20 अप्रैल, 2001; का. आ 931 (अ) दिनांक 19 सितंबर, 2001; का. आ 590 (अ) दिनांक 31 मई, 2002; का. आ 1191 (अ) दिनांक 12 नवंबर, 2002; का. आ 703 (अ) दिनांक 18 जून, 2003 के तहत आगे संशोधित की गई; का. आ 1458(अ) दिनांक 23 दिसम्बर, 2003; का. आ 99(अ) दिनांक 20 जनवरी, 2004; का. आ 367(अ) दिनांक 17 मार्च, 2004; का. आ 937(अ) दिनांक 19 अगस्त, 2004; का. आ 1008(अ) दिनांक 16 सितम्बर, 2004; का. आ 56(अ) दिनांक 19 जनवरी, 2006; का. आ 199(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2006; का. आ 200(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2006; का. आ 1854(अ) दिनांक 30 अक्टूबर, 2006; का. आ 1506(अ) दिनांक 20 जून, 2008; का. आ 130(अ) दिनांक 6 जनवरी, 2009; का. आ 2143(अ) दिनांक 20 अगस्त, 2009; का. आ 779(अ) दिनांक 28 अप्रैल, 2011; का. आ 85(अ) दिनांक 11 जनवरी, 2012; का. आ 1272(अ) दिनांक 25 मई, 2012; का. आ 2613(अ) दिनांक 25 अक्टूबर, 2012; का. आ 2825(अ) दिनांक 22 नवंबर, 2012; का. आ 43(अ) दिनांक 31 दिसंबर, 2012; का. आ 1351(अ) दिनांक 21 मई, 2013; का. आ 306(अ) दिनांक 31 जनवरी, 2014; का. आ 2520(अ) दिनांक 26 सितंबर, 2014; का. आ 2587(अ) दिनांक 2 अक्टूबर, 2014; का. आ 1459(अ) दिनांक 1 जून, 2015; का. आ 2458(अ) दिनांक 4 सितम्बर, 2015; का. आ 3097(अ) दिनांक 9 नवम्बर, 2015; का. आ 4111(अ) दिनांक 22 दिसम्बर, 2016; का. आ 132(अ) दिनांक 10 जनवरी, 2018; का. आ 275(अ) दिनांक 17 जनवरी, 2018; का. आ 276(अ) दिनांक 17 जनवरी, 2018; का. आ 1794(अ) दिनांक 2 मई 2018; का. आ 143(अ) दिनांक 9 जनवरी 2019; का. आ 1934(अ) दिनांक 10 जून 2019; तथा का. आ 2779(अ) दिनांक 2 अगस्त 2019; का. आ 3558(अ) दिनांक 1 अक्टूबर 2019; का. आ 3636 (अ) दिनांक 10 अक्टूबर 2019, का. आ 4123(अ) दिनांक 17 नवंबर 2020, का. आ 4354(अ) दिनांक 14 सितंबर 2022, का. आ 2937(अ) दिनांक 15 जुलाई 2024 और का. आ 4841(अ) दिनांक 22 अक्टूबर 2025

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

## (Department of Health and Family Welfare)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2025

**S.O. 5449(E).**— In exercise of the powers conferred by Section 7 read with Section 8 of the Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification No. S.O. 85 (E), dated 5<sup>th</sup>February, 1997, issued by Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:

2. In the said notification, under the heading “Appointed under clause (g) of sub-section (2) of section 7”, for serial numbers 20 and the entries relating thereto the following shall be substituted , namely: -

|    |                                                                                    |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 20 | Principal Secretary, Health and Family Welfare Department, Government of Karnataka | Member |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Term of office of the above members shall be for a period of one year commencing from the date of this notification or till further orders, whichever is earlier.

[F. No. V.11011/03/2023-PNDT]

MEERA SRIVASTAVA, Jt. Secy.

**Note:** The Principal Notification was published in the Gazette of India, *vide*no. S.O.85 (E), dated 5<sup>th</sup>February, 1997 and amended *vide*No. S.O.160 (E) dated 28<sup>th</sup>February, 1998 and further amended *vide*Nos. S.O. 694(E) dated 13<sup>th</sup>August, 1998, S.O. 61(E) dated 14<sup>th</sup>January, 2000; S.O.114(E)dated 1<sup>st</sup>February, 2000; S.O.349(E) dated 20<sup>th</sup>April, 2001; S.O.931(E) dated 19<sup>th</sup>September, 2001; S.O.590(E) dated 31<sup>st</sup>May, 2002; S.O.1191 (E) dated 12<sup>th</sup>November, 2002; S.O.703(E) dated 18<sup>th</sup>June, 2003; S.O.1458(E) dated 23<sup>rd</sup>December, 2003; S.O.99(E) dated 20<sup>th</sup>January, 2004; S.O.367(E) dated 17<sup>th</sup>March, 2004; S.O.937(E) dated 19<sup>th</sup>August, 2004; S.O.1008(E) dated 16<sup>th</sup>September, 2004; S.O.56(E) dated 19<sup>th</sup>January, 2006; S.O.199(E) dated 10<sup>th</sup>February, 2006; S.O.200(E) dated 10<sup>th</sup>February, 2006; S.O. 1854(E) dated 30<sup>th</sup>October, 2006; S.O.1506(E) dated 20<sup>th</sup>June, 2008; S.O.130(E) dated 6<sup>th</sup>January, 2009; S.O.2143(E) dated 20<sup>th</sup>August, 2009; S.O.779(E) dated 28<sup>th</sup>April, 2011; S.O.85(E) dated 11<sup>th</sup>January, 2012; S.O.1272(E) dated 25<sup>th</sup>May, 2012; S.O. 2613(E) dated 25<sup>th</sup> October, 2012; S.O. 2825(E) dated 22<sup>nd</sup>November, 2012; S.O. 43(E) dated 31<sup>st</sup>December, 2012 ; S.O. 1351(E) dated 21<sup>st</sup>May, 2013; S.O. 306(E) dated 31<sup>st</sup>January, 2014; S.O. 2520(E) dated 26<sup>th</sup>September, 2014; S.O. 2587(E) dated 2<sup>nd</sup>October, 2014; S.O. 1459(E) dated 1<sup>st</sup>June, 2015; S.O. 2458 (E) dated 4<sup>th</sup>September, 2015; S.O. 3097(E) dated 9<sup>th</sup>November, 2015; S.O. 4111(E) dated 22<sup>nd</sup>December, 2016; S.O. 132(E) dated 10<sup>th</sup>January, 2018;S.O. 275(E) dated 17<sup>th</sup> January, 2018; S.O. 276(E) dated 17<sup>th</sup> January, 2018; S.O. 1794(E) dated 2<sup>nd</sup>May 2018; S.O. 143(E) dated 9<sup>th</sup>January 2019; S.O. 1934(E) dated 10<sup>th</sup>June 2019; andS.O. 2779(E) dated 2<sup>nd</sup>August 2019; S.O. 3558(E) dated 1<sup>st</sup> October 2019; S.O. 3636 (E) dated 10<sup>th</sup>October 2019, S.O.4123(E) dated 17<sup>th</sup>November 2020 S.O.4354(E) dated 14<sup>th</sup>September 2022, S.O. 2937(E) dated 15<sup>th</sup> July, 2024 and S.O.4841(E) dated 22nd October 2025.